MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF EDUCATION AND RESEARCH, KINGDOM OF NORWAY AND MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, REPUBLIC OF INDIA ON COOPERATION IN THE FIELD OF EDUCATION

The Ministry of Education and Research, Kingdom of Norway and the Ministry of Human Resource Development, Republic of India (hereinafter referred to as "the Parties");

Desiring to strengthen bilateral relations in the field of education;

Recalling the profound impact of education on human resource, economic and social development;

Recognizing that greater linkages between the countries in the field of education would be mutually beneficial;

Recalling the Agreement on Cooperation in the field of Culture between the Kingdom of Norway and the Republic of India signed on 19.4.1987;

Have reached the following understanding:

Article I

The Parties shall encourage, as appropriate, the development of contacts and cooperation between the educational institutions of the Parties, based on their respective academic and educational needs. These may include all or some of the following activities:

i) exchange of research materials, publications, educational literature, teaching aids, demonstration material and information;

ii) organization of joint conferences, exhibitions and seminars;

iii) organization of joint research programmes and publications;

iv) organization of training programmes for educational administrators and teachers;

v) exchange of academic and other administrative staff;

vi) exchange of scholars, teachers, experts and students;

vii) twinning arrangements between institutions of higher learning;

viii) to develop bilateral programmes between institutions of educational excellence in technical, vocational and higher education;

ix) examine the possibility of mutual recognition of educational qualifications;

x) setting up of chairs on contemporary studies;

xi) providing mutual assistance in the fields of Information Technology, Computer Science, mathematics & science;

xii) any other activity as agreed by both Parties.

Article II

Both Parties will make available to the other the necessary information concerning their education system, quality assurance, recognition and licensing requirements and assist in developing mutual understanding and appropriate procedures for facilitating evaluation and recognition of academic credentials.

Article III

The substance, scope and implementation of activities or cooperation within the terms of this MOU may be the subject of more specific arrangements to be concluded in the future between selected institutions in the two countries. The Parties may consider the development of a bilateral agreement in the field of education to replace this MoU in the future.

Article IV

Nothing shall diminish the full autonomy of either Party, nor will any constraints or financial obligations be imposed by either Party upon the other, in carrying out the MoU.

Article V

The costs of the co-operative activities under this MoU shall be funded on terms to be mutually determined and shall be subject to the availability of funds.

Article VI

The Parties shall establish a Joint Working Group to concretise this MoU, and possibly to develop a bilateral agreement in the field of education if the Parties find it mutually beneficial. The Joint Working Group will be chaired

on behalf of the Kingdom of Norway by a representative of the Ministry of Education and Research, and on behalf of the Republic of India, by a representative of the, Ministry of Human Resource Development, along with the participation of representatives of the other agencies of the parties, as appropriate. The Joint Working Group shall meet alternately in Norway and India.

Article VII

The Joint Working Group shall review and discuss the development of mutual relations in education and activities under this MoU, but also exchange views on international education policies, multilateral initiatives in this field and principles or sustainable education exchange.

Such topics may include, but are not limited to:

- International initiatives for quality control in cross-border provision of higher education;
- Education in the context of GATS;
- UNESCO initiatives in higher education, such as regional conventions on qualifications;
- Implications of the European Bologna Process and its global context, as discussed in the ministerial communiqué at the London meting in 2007;
- The identification of mutually beneficial education and training schemes in higher education institutions or in industry which will increase the potential for exchange of services and manpower between the two countries;
- The identification and implementation of measures and activities envisaged in this MoU.

Article VIII

The Parties shall establish mutual points of contact for regular consultations on matters related to the bilateral education relations between the Parties, and establish contact procedures to facilitate communication.

Article IX

The MoU shall be in force on the date of signing by both the Parties and shall remain in force for a period of five years or until it is replaced by a bilateral agreement in the field of education.

Done at Oslo on 18 June 2008, in two original copies in Hindi and English languages, both texts being equally authentic. In case of any doubt, the English text shall prevail.

For the Ministry of Education and Research	For the Ministry of Human Resource Development
Tora Aasland	[signature]
H. E. Ms. Tora Aasland Minister of Research and Higher Education of the Kingdom of Norway	H. E. Mr. Banbit Roy Ambassador of the Republic of India

नार्वे की शाही सरकार के शिक्षा तथा अनुसंधान मंत्रालय और भारत गणराज्य के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन

नार्वे की शाही सरकार के शिक्षा तथा अनुसंधान मंत्रालय और भारत गणराज्य की सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय (जिन्हें इसके बाद से ''पक्षकार'' कहा गया है) ने;

शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने की इच्छा व्यक्त करते हुए;

मानव संसाधन, आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधी शिक्षा के गहरे प्रभाव का स्मरण करते हुए;

यह महसूस करते हुए कि शिक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच संबंध और प्रगाढ़ होने से पारस्परिक लाभ होगा;

भारत गणराज्य और नार्वे की शाही सरकार के मध्य संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग हेतु दिनांक 19.4.1987 को संपन्न समझौते का स्मरण करते हुए;

निम्न प्रकार सहमति व्यक्त की है-

अनुच्छेद-।

दोनों पक्षकार अपनी-अपनी अकादमिक तथा शैक्षिक आवश्यकताओं के आधार पर दोनों पक्षकारों की शैक्षिक संस्थाओं के बीच संपर्क तथा सहयोग को यथा-उपयुक्त बढ़ावा देंगे। इनमें निम्नलिखित में से सभी अथवा कुछेक कार्यकलाप शामिल होंगे :-

i) अनुसंधान सामग्री, प्रकाशनों, शैक्षिक साहित्य, शिक्षण सहायक सामग्री, प्रदर्शन सामग्री तथा सूचना का आदान-प्रदान;

ii) संयुक्त सम्मेलनों, प्रदर्शनियों तथा सेमिनारों का आयोजन;

TA MAN

iii) संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों तथा प्रकाशनों का आयोजन;

iv) शैक्षिक प्रशासकों तथा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन;

v) शैक्षिक एवं अन्य प्रशासनिक कर्मचारियों का आदान–प्रदान;

vi) अध्येताओं, शिक्षकों, विशेषज्ञों तथा विद्यार्थियों का आदान–प्रदान;

vii) उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के बीच दोहरी व्यवस्थाएं;

viii) तकनीकी, व्यावसायिक तथा उत्कृष्ट शिक्षा संस्थाओं के बीच द्विपक्षीय कार्यक्रम तैयार करना;

ix) शैक्षिक अर्हताओं को परस्पर मान्यता देने की संभावना तलाशना;

x) समसामयिक अध्ययनों से संबंधित पीठों की स्थापना करना;

xi) सूचना प्रोद्योगिकी, कप्यूटर विज्ञान, गणित एवं विज्ञान के क्षेत्रों में परस्पर सहायता प्रदान करना;

xii) दोनों पक्षों द्वारा यथासम्मत कोई अन्य कार्यकलाप।

अनुच्छेद–II

दोनों पक्षकार अपनी–अपनी शैक्षिक प्रणालियों, गुणवत्ता आश्वासन, मान्यता तथा लाइसेंस संबंधी अपेक्षाओं से संबंधित अपेक्षित सूचनाएं उपलब्ध कराएंगे और शैक्षिक प्रमाणपत्रों के मूल्यांकन तथा मान्यता को सुविधाजनक बनाने हेतु परस्पर समझबूझ तथा उचित प्रक्रियाएं विकसित करने में सहायता करेंगे।

अनुच्छेद–III

इस समझौता ज्ञापन के निबंधनों के अधीन कार्यकलापों अथवा सहयोग का सार, इसकी संभावना तथा क्रियान्वयन दोनों देशों में स्थित चुनिंदा संस्थाओं के बीच भविष्य में की जाने वाली और अधिक विशिष्ट व्यवस्थाओं के शर्ताधीन हो सकता है। दोनों पक्षकार भविष्य में इस समझौता ज्ञापन के स्थान पर शिक्षा के क्षेत्र में कोई अन्य द्विपक्षीय समझौता तैयार करने पर विचार कर सकते हैं।

अनुच्छेद–IV

दोनों पक्षकारों में से किसी की भी संपूर्ण स्वायत्तता प्रभावित नहीं होगी, और न ही इस समझौता ज्ञापन को लागू करने में कोई पक्षकार अन्य पक्षकार पर कोई दबाव अथवा वित्तीय बाध्यताएं डालेगा।

अनुच्छेद–V

इस समझौता ज्ञापन के तहत सहयोगी कार्यकलापों की लागत परस्पर निर्धारित निबंधनों पर वहन की जाएगी और यह निधियों की उपलब्धता पर निर्भर होगी।

अनुच्छेद–VI

दोनों पक्षकार इस समझौता ज्ञापन को कार्यरूप देने और संभवतः यदि दोनों पक्षकारों के लिए परस्पर लाभदायक हो तो शिक्षा के क्षेत्र में एक द्विपक्षीय समझौता तैयार करने हेतु एक संयुक्त कार्यदल का गठन करेंगे। इस संयुक्त कार्यदल की अध्यक्षता नार्वे की शाही सरकार की तरफ से वहां के शिक्षा तथा अनुसंधान मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा और भारत गणराज्य की सरकार की तरफ से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा की जाएगी और साथ ही इस कार्यदल में दोनों पक्षकारों की अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भी यथोचित सहभागिता होगी। इस संयुक्त कार्य दल की बैठकें बारी–बारी से भारत तथा नार्वे में परस्पर आयोजित की जाएंगी।

अनुच्छेद–VII

संयुक्त कार्यदल इस समझौता ज्ञापन के तहत शिक्षा तथा कार्यकलापों में पारस्परिक संबंध विकसित करने के बावत समीक्षा एवं परिचर्चा करेंगे, परन्तु अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों, इस क्षेत्र में बहुपक्षीय पहलों तथा चिरस्थायी शैक्षिक आदान–प्रदान संबंधी सिद्धांतों के बारे में विचारों का आदान–प्रदान भी करेंगे।

ऐसे शीर्षों में निम्नलिखित शामिल होंगे परन्तु इन तक सीमित नहीं होंगेः–

- उच्चतर शिक्षा संबंधी सीमा पार प्रावधान में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय पहल
- जी ए टी एस के संदर्भ में शिक्षा
- अर्हताओं संबंधी क्षेत्रीय अभिसमय जैसी उच्चतर शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय पहलें;

- वर्ष 2007 में लंदन में आयोजित बैठक में मंत्रालयीय विज्ञप्ति में यथा परिचर्चित, यूरोपीय बोलोना प्रक्रिया के आशय और इसका सार्वभौम संदर्भ;
- उच्चतर शिक्षा संस्थाओं और उद्योगों में परस्पर लाभदायक शिक्षा एवं प्रशिक्षण योजनाओं का पता लगाना जिससे दोनों देशों के बीच सेवाओं एवं जनशक्ति के आदान-प्रदान हेतु संभावनाएं बढ़ेंगी;
- इस समझौता ज्ञापन में परिकल्पित उपायों तथा कार्यकलापों का अभिनिर्धारण तथा क्रियान्वयन।

अनुच्छेद-VIII

दोनों पक्षकार उनके मध्य द्विपक्षीय शैक्षिक संबंधों से जुड़े मामलों पर नियमित परामर्श हेतु परस्पर संपर्क बिन्दूएं स्थापित करेंगे और आपसी बातचीत को सुकर बनाने के लिए सम्पर्क प्रक्रिया स्थापित करेंगे।

अनुच्छेद-IX

यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षकारों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से लागू होगा और यह पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा जब तक इसके स्थान पर शिक्षा के क्षेत्र में कोई अन्य द्विपक्षीय समझौता न हो जाए, तक प्रवृत्त रहेगा।

समान रूप से प्रामाणिक हिंदी तथा अंग्रेजी भाषाओं में दो मूल प्रतियों म में वर्ष 2008 के तारीख को संपन्न किया गया। किसी संदेह की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय की ओर स	मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से
नाम : Tora Aasland	नाम : [signature]
पदनाम : Minister of higher education and research	पदनाम : Ambassador of India Oslo, Norway